न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 17 / 2021

1. अतुल पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द उप तहसील सिंघाना, जिला झुन्झुनूं।
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र दयानन्द जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द उप तहसील सिंघाना जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम अतुल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट1956
मु0न0 29 / 2020 निर्णय दिनांक 31.08.2020

उपस्थितिः—

1 श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 18.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.08.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अतुल मु0नं0 29 / 2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अदालत मातहत ने अपीलांट नंबर—1 को जमीन खसरा नंबर 258, 257 रकबा 1.20 हैक्टर व 3.18 हैक्टर वाके ग्राम नावता में से अपीलांट नंबर 1 का 211.93 वर्ग मीटर व अपीलांट नंबर 2 का 388.53 वर्ग मीटर पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत का आदेश पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है तथा पटवारी [illegible] जमीन का नाप किये अपीलांटस का 961 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण बताकर [illegible] है जो एक पक्षीय है [illegible]री हल्का ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.18 16:19:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट के कब्जे की जमीन का नाप मौके पर अपीलांटस नंबर 2 के खिलाफ अतिक्रमण रिपोर्ट तैयार की थी, परन्तु बाद में रिपोर्ट पर रविन्द्र का नाम काटकर उसकी जगह अतुल नाम लिख दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट गलत तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की है। जमीन जैर बहस पर अपीलांटस के पूर्वजों के समय से रिहायशी व चारदिवारी बनाकर 50 वर्ष पूर्व से कब्जा है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/17 राज/दिनांक 31.03.1971 तथा परिपत्र संख्या एफ–6/10 /राज /4/77 दिनांक 23.04.1977 के अनुसार पुराने कब्जे का नियमन करना चाहिये था, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्रों पर कोई गौर न कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। जमीन के चारों ओर ग्रमवासी घर बनाकर आबाद है तथा सघन आबादी है। प्रकरण में पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये एवं ना ही अपीलांटस की साक्ष्य ली गई। अपीलांट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की पालना नहीं की गई है, जो काबिले खारिज है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्ध बिना जमीन की नाप जोख किये एक पक्षीय झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। विवादित भूमि के चारों ओर घनी आबादी है। विवादित भूमि पर अपीलांट कब्जा करीब 50 वर्ष पूर्व से पूर्वजों के समय से है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/17 राज/दिनांक 31.03.1971 तथा परिपत्र संख्या एफ–6/ 10 /राज /4/77 दिनांक 23.04.1977 के अनुसार पुराने कब्जे का नियमन करना चाहिये था, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्रों पर कोई गौर न कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 257, 258 रकबा 1.20 हैक्टर, 3.18 हैक्टर भूमि में से 388.5 वर्गमीटर व 211.93 वर्ग मीटर कुल 600.46 वर्गमीटर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंघाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.18 16:19:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि किस्म गैर मु0 जोहड़ खसरा नंबर 257, 258 रकबा 1.20 हैक्टर, 3.18 हैक्टर भूमि में से 388.53 वर्गमीटर व 211.93 वर्ग मीटर कुल 600.46 वर्ग मीटर पर अनाधिकृत रूप से चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। अपीलांट का विवादितभूमि पर कब्जा पुराना या वैध हो, इस तरह की पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं। भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है, जो नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 उनवानी सरकार बनाम अतुल मु0नं0 29/2020 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

18/10/2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-10-2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.18 16:19:29 IST
Reason: SelfAttested